

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्य प्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/16-17/

5804/

बैतूल दिनांक 08/05/2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	केलापुर	0.867	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ व. रतन निवासी भैंसदेही	95	0.421	0.122
2	रतन व. छोटेलाल निवासी केलपुर	96	0.704	0.152
3	भूरू व. शिवबक्स निवासी खेड़ली	97/1	1.032	0.143
4	जशोदा जौ. सुखनंदन निवासी भैंसदेही	97/2	0.405	0.109
5	मल्लू व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/1	0.479	0.132
7	शिवदयाल व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/3	0.971	0.048
8	सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी निवासी उमरी जागीर	99	1.536	0.161
योग				0.867